MBBS, MD Degree holders are does not have eligibility to write 'Doctor' . Only Ph.D stripe is authorised to prefix 'Doctor'.

...RTI clarification of Ayush University. Article published in 'Nayee Duniya' dt. 12-06-2017.

नईदुनिया

रायपुर, सोमवार 12 जून 2017

राजधानी

www.naidunia.com

एमबीबीएस, एमडी डिग्रीधारी को नहीं है 'डॉक्टर' लिखने की पात्रता

आरटीआई में आयुष विश्वविद्यालय ने दी जानकारी-नियमों में कहीं उल्लेख नहीं

नईदुनिया एक्सक्लूसिव

आईएमए ने स्वीकारा -चलन में है, इसलिए लिखते हैं

देशभर में चल रही बहस, लेकिन नहीं निकला हल

दुरुपयोग का खतरा बढ़ा

ऐसा होना चाहिए लिखने का तरीका

मंदी की मार... शहर के तीन बड़े होटल बिकने को तैयार

रविभवन से कब्ज खत्म, 25 दुकान

बाटलिंग यूनिट

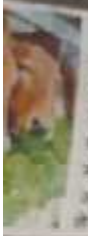

विपक्ष के आरोप से हुआ आ...

MBBS, MD नहीं लिख सकते नाम के आगे डाक्टर

आयुष विवि का RTI के तहत चौंकाने वाला जवाब

एजेंसियां

रायपुर. एमबीबीएस, एमडी/एमएस समेत आयुर्वेद, होमियोपैथी डिग्रीधारी शख्स अपने नाम के आगे 'डाक्टर' लिखते हैं, लेकिन क्या इन्हें 'डाक्टर' लिखने की पात्रता है. ऐसा कोई नियम भी है? आयुष विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार में जो जवाब दिया है, वह चौंकाने वाला है. एमबीबीएस, एमडी/एमएस डिग्रीधारियों के पंजीयन करने वाली संस्था मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई), बीडीएस, एमडीएस डाक्टरों के पंजीयन की संस्था डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डीसीआई) और बीएएमएस डिग्रीधारियों के पंजीयन की संस्था सीसीआईएम के नियमों में भी 'डाक्टर' लिखे जाने का जिक्र नहीं है. तो सवाल यह है कि सब नियम-विरुद्ध ही लिख रहे हैं? देशभर में इसे लेकर वर्षों से बहस चल रही है, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला.

विवि ने स्पष्ट कहा है कि वे 'डाक्टर' लिखकर किसी भी छात्र को डिग्रियां नहीं बांटते. नियम में कहीं 'डाक्टर' का उल्लेख नहीं है. विवि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां देता है. नियमानुसार सिर्फ पीएचडी धारी ही 'डाक्टर' लिखने के लिए अधिकृत हैं. रायपुर समेत पूरे राज्य यहां तक कि देशभर के सभी मेडिकल कालेजों से एमबीबीएस पास-आउट होने के बाद इंटर्नशिप के पहले ही छात्र नाम के आगे 'डाक्टर' लिखना शुरू कर देते हैं. यह सिर्फ चलन में है, दस्तावेजी प्रमाण नहीं है.

■ इसी लेकर हमेशा से ही भ्रम की स्थिति रही है. मैं तो यह कहता हूं कि आज फिजियोथेरेपी और अन्य पाठ्यक्रम वाले भी डाक्टर लिखने लगे हैं. ऐसे में कौन किस चीज का डाक्टर है, यह स्पष्ट ही नहीं होता. कायदे से डाक्टर न लिखकर, नाम के पीछे डिग्री का उल्लेख करना चाहिए.

-डा. महेश सिन्हा, अध्यक्ष, आईएमए रायपुर इकाई

■ विवि नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है और न ही विवि किसी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र को डाक्टर लिखकर डिग्री देते हैं. सिर्फ पीएचडी होल्डर ही डाक्टर लिख सकते हैं. यह गलत तो है ही, लेकिन चलन में आ गया है.

-प्रो. केएल तिवारी, रजिस्ट्रार, आयुष विश्वविद्यालय

तमिलनाडु में एफिडे... पहुंचे क...

...में हड़कम्प

पूर्व सांसद अती...

पाल हत्याकांड : 24 लोग...

Abstract of the article published in Nayee Duniya (Raipur) dt. 12-06-2017.

MBBS, MD & MS Degree holders are does not have eligibility to write 'Doctor'.

Ayush University has clarified under RTI Act that MBBS, MD & MS Degree holders are not eligible to prefix word 'Dr.'. According to rules only Ph.D stripe is authorized to write 'Doctor'. It is just in practice and only it is a matter of **tradition & convention /usage having no documentary evidence**.

University has clearly stated that there is no valid evidence or record available in different Councils who are issuing Registration Certificates to qualified students viz. Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI) , Central Council of Indian Medicine (CCIM) & Central Council of Research of Homoeopathy (CCRH). Hence, **there is no such rule to prefix word Doctor** .